

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

घीसा पुत्र मांगिया, जाति कुम्हार, उम्र बालिग निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अराई जिला अजमेर राज। -प्रार्थी

बनाम

• गोपी पुत्र रामा, जाति कुम्हार, उम्र बालिग निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य। -अप्रार्थीगण।



किस्म मुकदमा- धारा 251(क) राज.का. अधि. 1955

दर्ज क्रमांक 83 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / ...2.../...

वकील प्रार्थी :- योगेश शर्मा

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/7/24	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई </p>	
20/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप अग्रिम 01 से 17 की ओर से वकील श्री अग्रिम गुर्जर उप. होकर ववालयनामा, जवाब फर्द दस्तावेज पेश करने के लिए प्रतिवादी प्रार्थी को निर्देश अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली 25/10/24 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर) </p>	
25/10/24	<p>प्रार्थनी पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थनी/अवकाश</p> <p style="text-align: right;"> दिनांक 06/12/24 का पत्रावली </p>	

प्राचीन काल में कृषि का विकास हुआ।
- यमुना नदी के किनारे बसे हुए लोग
कृषि करके जीविकोपार्जन करते थे।
- प्राचीन काल में कृषि का विकास हुआ।
- खरीप मिट्टी में पानी की कमी के कारण
कृषि करना मुश्किल था।

गैर व लो
अहकाम
इकम की लो
में जारी हो